# विषय–सामाजिक विज्ञान

## इकाई 3–( लोकतान्त्रिक राजनीति)

## कक्षा –9

प्रस्तुतकर्त्ता–गोबिन्द बल्लभ भटट

स0अ0,एल0टी0

रा0इ0का0 झूलाघाट,पिथौरागढ।

# संविधान निर्माण

**1–संविधान की परिभाषा–** संविधान लिखित नियमों का एक ऐसा ग्रन्थ या किताब है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के (जिन्हें नागरिक कहा जाता है ) बीच के आपसी संबन्ध तय होने के साथ –साथ लोगों और सरकार के बीच के सम्बन्ध भी तय होते है ।

दूसरे शब्दों में संविधान में कुछ ऐसे सिद्धान्त तथा नियम तय कर लिए जाते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है ,शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा उनके आपसी सम्बन्धों को निर्धारित किया जाता है ।

**2–संविधान की आवश्यकता**– संविधान की आवश्यकता निम्नांकित कारणों से है।

1– यह साथ रह रहे लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है ,और सरकार और नागरिकों के आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करता है।

2–संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है।

3–संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है ।

4–संविधान ही सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है।

5–संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।

**3–भारतीय संविधान का निर्माण–पृष्ठभूमि**–स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही यह तय हो गया था कि आजाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए 1928 ई.0 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था । 1931 ई0 में कराची अधिचेशन में एक प्रस्ताव यह भी रखा था कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा ।1935ई0 के भारत शासन अधिनियम ,1937 ई0 के प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव और भारतीय जनता के निरन्तर चिंतन,बहसों ने संविधान के निर्माण में मदद की।1946 ई0 के कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर बिट्रिश सरकार द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

**4–संविधान सभा–** भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा चुने गये जनप्रतिनिधियों की वह सभा होती है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाय 1946 ई0 में चुनाव हुए थे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946ई0 इसके अस्थायी अध्यक्ष डा0 सचिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता मे हुई थी इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था इसलिए संविधान सभा भी दो हिस्सों भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा में बंट गयी । भारतीय संविधान सभा में **299 सदस्य थे डा0 राजेन्द्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डा0 भीमराम अम्बेडकर को संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया** संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई–कई दौर की लम्बी–लम्बी चर्चाएं हुई 114 दिनों की लम्बी चर्चाओं के बाद 26 नवम्बर 1949 ई0 को संविधान का कार्य पूर्ण



गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।

हुआ । मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है । भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 ई0 को भारत का संविधान लागू किया गया और हम हर वर्ष इस दिन को गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाते है।

This Image is taken by Google

पं जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए।

**5–भारत के संविधान की प्रस्तावना–**

हम भारत के लोग , भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न ,समाजवादी,पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक ,गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सब नागरिकों को सामाजिक ,आर्थिक और राजनीतिक न्याय ,विचार,अभिव्यक्ति,विश्वास,धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

**1976 ई0 में 42 वें संशोधन के जरिये धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया।**

This Image is taken by Google

# संविधान निर्माण

## 6–भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य–

1–**हम भारत के लोग**– इसका तात्पर्य है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया है ।

**2–समाजवादी–** समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बॅटवारा समानता के साथ होना चाहिए । सरकार जमीन और उद्योग–धन्धों की हकदारी से जुड़े कायदे –कानून इस तरह बनाये कि सामाजिक –आर्थिक असमानताएं कम हों।

**3–प्रभुत्व सम्पन्न**–लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है । कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती।

**4–पंथ–निरपेक्षता–**नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतन्त्रता है ।कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों और आचरणों को समान सम्मान देती है। राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा धार्मिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेगा।

**5–लोकतन्त्रात्मक–**सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं लोग अपने शासक का चूनाव करते हैं ,उसे जबाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसका आशय है कि देश का शासन जनता का,जनता के लिए तथा जनता द्वारा होगा।

**6–गणराज्य–**गण्राज्य से आशय यह है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना व्यक्ति होगा न कि वंश परम्परा या किसी खानदान का व्यक्ति। इसीलिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

**7–न्याय–**नागरिकों के साथ उनकी जाति ,धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

**8–स्वतन्त्रता**–नागरिक कैसे सोचें ,किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें ,इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है।

**9–समता–** कानून के समक्ष सभी समान हैं पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

**10–बंधुता–** हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने।



गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।

# संविधान निर्माण

प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा0 भीमराम अम्बेडकर संविधान का अन्तिम मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद को सोंपते हुए ,25 नवम्बर 1949 ई0।

This Image is taken by Google

**7–भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व–** भारत के संविधान की प्रस्तावना को अत्यधिक महत्व दिया जाता है इसके महत्व को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

1–संविधान की प्रस्तावना ही वह मार्ग दिखाती है जिस पर चल कर सरकार को अपनी नीतियां बनानी होती है।

2–संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट घोषित करती है कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न ,समाजवादी,पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक ,गणराज्य है।

3–यह नागरिकों को सामाजिक ,आर्थिक और राजनीतिक न्याय ,विचार,अभिव्यक्ति,विश्वास,धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने का लक्ष्य घोषित करती है।

4– संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही राज्य व्यक्ति की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को बनाये रखने को प्राथमिकता देता है।

5– संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत के समस्त नागरिकों में बंधुता बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

6– संविधान की प्रस्तावना भारत के समस्त नागरिकों से राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को बनाये रखने का आह्वान करती है।

**8–गणतन्त्र दिवस–** भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ई0 को लागू किया गया था इसी लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जाता है ।इसकी पृष्ठभूमि में एक रोचक पहलू है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929–30 के लाहौर अधिवेशन में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गयी और यह तय किया 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष देश भर में स्वतन्त्रता दिवस मनाया जायेगा और जब देश 15 अगस्त 1947 ई0 स्वतन्त्र हुआ तो 15 अगस्त को स्वतन्तत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन 26 जनवरी की तिथि की ऐतिहासिकता को देखते हुए 26 जनवरी 1950 ई0 को संविधान लागू किया गया और देश भर में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतन्त्र दिवस मनाया जाता है।



गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।

# संविधान निर्माण

**9–संविधान की विशेषताएं–** भारत के संविधान की निम्नांकित विशेषताएं है।

1–भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है।

2–भारतीय संविधान द्वारा भारत में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न ,समाजवादी,पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक ,गणराज्य की स्थापना की गयी है।

3–भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता लिए हुए संघात्मक शासन की व्यवस्था की गयी है।

4–भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है।

5–भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गयी है।

6–भारतीय संविधान नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है।

7–भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त करता है।

1950 ई0 संविधान सभा की कार्यवाही

This Image is taken by Google

**10–पाठ पर आधारित प्रश्न–**

प्रश्न–1–भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर–डा0 राजेन्द्र प्रसाद

प्रश्न–2–भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर–डा0 भीमराव अम्बेडकर

प्रश्न–3–नेल्सन मंडेला किस देश के नेता है ?

उत्तर–दक्षिण अफ्रिका के

प्रश्न –4–दक्षिण अफ्रिाका में रंगभेद की नीति कब समाप्त हुई ?

उत्तर–दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद की व्यवस्था 1994 में समाप्त हुई।

प्रश्न–5–भारत का संविधन कब लागू किया गया ?

उत्तर–भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ई0 को लागू किया गया।

प्रश्न–6–संविधान सभा गठन कब हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई ?

उत्तर–संविधान सभा का गठन नवम्बर 1946 ई0 में हुआ तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई0 में हुई।

प्रश्न –7–संविघान सभा के उददेश्य प्रस्ताव क्या थे, इसको किसने प्रस्तुत किया ?

उत्तर– उददेश्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रपत्र था जिसमें भारत के नए संविधान का निर्माण करने के प्रमुख उददेश्यों का वर्णन किया गया था। 11 दिसम्बर 1946 ई0 को पं0 जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया।

प्रश्न –8–भारतीय संविधान किस तिथि को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ ?




गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।

उत्तर– 26 नवम्बर 1949 ई0 को
प्रश्न–9–भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है ?
उत्तर– भारतीय संविधान का जनक डा0 भीमराम अम्बेडकर को माना जाता है।
प्रश्न–10–भारतीय संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गयी ?
उत्तर–कैबिनेट योजना 1946 ई0 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया था।
प्रश्न –भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है ?
उत्तर–संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है।
प्रश्न –भारतीय संविधान सभा की दो महिला सदस्यों के नाम बतायें ?
उत्तर–भारतीय संविधान सभा की दो महिला सदस्य थी
1–श्रीमती सरोजनी नायडू
2–श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
प्रश्न–भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा ?
उत्तर– भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
प्रश्न–वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं ?
उत्तर–वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है।



गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।

**11– सन्दर्भ पुस्तकें–**

1–NCERT Book class-9 th
2–SCERT Book class-9 th ( उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक )
3. भारत का संविधान –पुखराज जैन लिखित।
4–चित्रा प्रकाशन(इंडिया ) प्रा0लि0 मेरठ की पुस्तक ।
5–उपकार प्रकाशन से प्रकाशित भारतीय संविधान।
6–उपकार प्रकाशन से प्रकाशित प्रतियोगिता दर्पण एवं समसामयिकि।
7–Google & Wikipedia
8–सभी चित्र Google.com से लिये गये हैं।



गोबिन्द बल्लभ भटट
स0अ0, एल0टी0
रा0इ0का0 झूलाघाट
पिथौरागढ।